उत्तर प्रदेश शासन संख्या- 6/2021/22099/1401/2020-वित्त अनुभाग-22-वित्त विभाग लखनऊ : दिनॉक 24 अगस्त, 2021	Government of Uttar Pradesh Finance (General) Section-3 No. 6/2021/22099/1401/2020- Finance Section-22- Finance Department Dated : Lucknow : 24 August, 2021
कार्यालय-ज्ञाप	Office - Memorandum
विषयः राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।	Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil / family pensioners.
राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महॅगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्य-29-2019/सा-3-789 /दस-2019-301/2000टी0सी0 दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2019 से महॅगाई राहत की दर 12 प्रतिशत से बढकार 17 प्रतिशत की गयी थी।	Vide government order No. 29/2019/G-3-789 /X-2019-301/2000 T.C. dated October 23, 2021 the dearness relief admissible to pensioners/ family pensioners of the state was increased from 12 percent to 17 percent w.e.f. July 01, 2019.
2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/ पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनॉक 01 जुलाई, 2021 से महँगाई राहत विद्यमान 17 प्रतिशत की दर से बढा कर 28 प्रतिशत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है। दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 30 जून, 2021 तक की अवधि में मंहगाई राहत की दर मूल पेंशन/मूल पारिवारिक पेंशन की 17 प्रतिशत ही रहेगी।	2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to increase dearness relief from 17 percent to 28 percent w.e.f. July 01, 2021 on the pension/ family pension revised/ determined under the provisions of the government orders issued under the recommendations of Uttar Pradesh pay Committee 2016. For the period from January 01, 2020 to June 30, 2021, the rate of dearness relief will remain 17 percent of the basic pension / basic family pension.

3- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।	3- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.
4- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा चुकें है।	4- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings / corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners / family pensioners have already been issued.
5- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।	5- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.
6- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनॉक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अत: पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।	6- As per orders issued in O.M. No. A - 1-252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.
7- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध	7- Other terms and conditions regarding

में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित है, पूर्ववत् लागू रहेंगे।	grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.
नील रतन कुमार विशेष सचिव, वित्त।	Neel Ratan Kumar Special Secretary, Finance.
सेवा में, (1)-उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारीगण। (2)-महलेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं ऑडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। (3)-महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून। (4)- समस्त राज्यो के महालेखाकार। (5)- समस्त राज्यो के प्रमुख सचिव, वित्त।	To, (1)-All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries to the Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers. (2)-Accountant General (Account & Entitlement)-1,2 & Audit-1,2, Uttar Pradesh, Prayagraj. (3)-Office of Accountant General, Uttarakhand, Dehradun. (4)- Accountants General of all states. (5)- Principal Secretary, Finance of all states.